

किस्म मुकदमा :: विविध 77/2020
 जी.सी.एम.एस. नम्बर :: 2020/00 307
 धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial
 Assets and Enforcement of Security interest Act 2002

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/12/20	<p>प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने पाया कि प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार अप्रार्थी संख्या 4 के पत्ते (अ) प्लॉट नं. 8-ए, सागर कॉलोनी, फालना, तहसील-बाली, जिला-पाली (राज.) (ब) फ्लैट/यूनिट नं. 611, छठवीं मंजिल, "महिमा फाउन्टेन स्कवायर", प्लॉट नं. 6, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर, (राज.)-302017 अंकित है। जबकि पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड एडी की रसीद एवं ट्रेक रिपोर्ट मालवीय नगर, जयपुर की होने से दोनो में विरोधाभास है इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी को पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है सही तामीली रिपोर्ट अथवा स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्रावली दिनांक 17/12/20 को पेश हो।</p>	
17/12/20	<p>पत्रावली काज पेश हुई। वकील प्रार्थी के कानून की युक्त प्रार्थना पत्रों के दिनांक 1/12/20 की पत्रावली के स्थिति स्पष्ट करने की गैर हो। आगामी 1 सप्ताह में प्रार्थी के कबजा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। पत्रावली एक सप्ताह बाद दिनांक 28/12/20 को पेश हो।</p>	<p>जिला मजिस्ट्रेट, पाली जिला मजिस्ट्रेट, पाली</p>
28/12/20	<p>पत्रावली काज पेश हुई। वकील प्रार्थी कानून। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI Act 2002 के तहत पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं अप्रार्थी संख्या 4 इन्द्रा जैन पत्नी श्री शशि कुमार जैन के 2 पत्ते (अ) प्लॉट नं. 8-ए सागर कॉलोनी फालना, तहसील बाली एवं (ब) फ्लैट/यूनिट नं. 611 छठवीं मंजिल "महिमा फाउन्टेन स्कवायर" प्लॉट नं. 6 जवाहर सर्किल के पास जयपुर राजस्थान 202017 अंकित है। अप्रार्थीनी ऋणी व जिसकी सम्पत्ति रहन रखी हुई है एवं प्रार्थी बैंक को कब्जा लेना है। उनके SARFAESI Act धारा 13(2) का नोटिस जारी किया गया वह उसकी रसीद की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा पेश की गई उक्त रसीद में उक्त नोटिस मात्र एक पते से मालवीय नगर जयपुर पिनकोड 302017 के पते से प्रेषित किया गया एवं ट्रेक रिपोर्ट अनुसार मालवीयनगर के पते की प्राप्ति रसीद है जबकि प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त पता अप्रार्थी संख्या 4 का है ही नहीं।</p>	<p>जिला मजिस्ट्रेट, पाली</p>



जिला मजिस्ट्रेट, पाली

A.T.O.

फालना तहसील बाली के पते से नोटिस जारी करने की पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्री की रसीद संलग्न नहीं है। धारा 13(2) के नोटिस में मात्र श्री संदीप जैन एवं श्रीमती नीलम जैन का पता अंकित है। अन्य के नहीं है उसमें इन्द्रा जैन का नाम भी अंकित नहीं है। धारा 13(2) के नोटिस का जवाब दिनांक 27.07.2020 का स्वास्तिक कॉपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रार्थी बैंक को दिया गया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 4 के कहीं हस्ताक्षर भी नहीं है जिससे स्वास्तिक कॉपर प्राइवेट लिमिटेड के अलावा अन्य अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया है यह स्पष्ट नहीं है ऋण के बदले में जिस इन्द्रा जैन की सम्पती कुर्की कर निलामी की जानी है वह सहऋणी भी है उसे नोटिस सही रूप से न तो ऋण-दाता बैंक द्वारा भिजवाया गया है नही उसे प्राप्त होना सिद्ध है इस वजह से प्रार्थी बैंक द्वारा उसकी प्राप्ति रसीद की प्रति भी पेश नहीं की गई है।

एसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 इन्द्रा जैन पत्नी शशि कुमार जैन को विधिसम्मत रूप से धारा 13(2) का नोटिस तामील नहीं कराया जाने से यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। इन्द्रा जैन की विधीसम्मत सही पत्ते पर तामील होने पर प्रार्थी पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावली शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो।

A

जिला मजिस्ट्रेट, पाली
जिला मजिस्ट्रेट, पाली